

प्रेषक,

एन०एस० दुंगरियाल,  
सामुदायिक सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 3/ मार्च, 2020

विषय: जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि से कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य उपकरणों की खरीद/स्थापना हेतु शिथिलीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धसामयिक पत्र संख्या-7/2/2020-MIV, दिनांक 28 मार्च, 2020 की छायाप्रति सलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना हेतु पूर्व में जारी किये गये दिशा-निर्देशों में शिथिलता प्रदान करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के नियंत्रण हेतु जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि में उपलब्ध धनराशि का अधिकतम 30 प्रतिशत के व्यय की अनुमति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है -

- 1- It is to be ensured that the expenditure related to COVID-19 does not exceed thirty (30) percent of the balance funds available with DMF.
- 2- Funds can be utilized for purchase / installation of necessary medical equipment/s or creation of medical infrastructure as per the guidelines of Ministry of Home Affairs and Ministry of Health and Family Welfare in those districts with at least a minimum of one COVID-19 positive patient.
- 3- In all the districts, funds can be used for purchase of face masks, soaps, sanitizers, and food distribution for poor people if other available funds are not sufficient as certified by the district magistrate.
- 4- Technical configuration and specification of the equipment/s for COVID-19 being purchased / installed shall be as per the laid down policies and guidelines of M/o Health and Family Welfare for COVID -19 and other extant instructions.
- 5- Due processes and procedure shall be followed by district administration while undertaking and purchase / installation of the equipment/s.
- 6- It shall be the responsibility of the District Authority to conduct a mandatory audit in the purchase / installation of the protective equipment in connection with COVID-19 under DMF as and when it deems appropriate and feasible.
- 7- Extant rules, regulations and codal provisions applicable for DMF are to be followed for any expenditure done to prevent the spread of COVID-19 pandemic.



2 अतः कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि में उपलब्ध धनराशि का अधिकतम 30 प्रतिशत धनराशि के व्यय की अनुमति उपरोक्त दिशा-निर्देशानुसार के अधीन प्रदान की जाती है।

3 कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए तदनुसार जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि से उक्तानुसार व्यय विवरण की सूचना संलग्न प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,  
(एन०एस० डुंगरियाल)  
संयुक्त सचिव

संख्या- (1)/VII-A-1/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. संबंधित जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन०एस० डुंगरियाल)  
संयुक्त सचिव